संख्याः5/ 2015/ 140/ 77-4-15-02एसआईडीसी/ 14

प्रेषक,

ओम प्रकाश पाठक,
विषेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यू0पी0एस0आई0डी0सी0,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 03 मार्च, 2015

विषयः **दिलशाद गार्डेन दिल्ली से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक मेट्रो रेल विस्तार हेतु रू0 32.39 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

शासनादेश संख्या-6010भाउ/ 18-11-91, दिनांक 02 जनवरी, 1992 द्वारा संयुक्त/ सहायतित क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को यह निर्देश दिया गया था कि संयुक्त/ सहायतित क्षेत्र की परियोजनाएं तथा अंशपूंजी भागीदारी योजनाएं तात्कालिक प्रभाव से क्रियान्वित नहीं की जायेगी। इस संबंध में उक्त शासनादेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उक्त प्रतिबंध उत्पादन इकाईयों पर लागू होगा परन्तु अवस्थापना सुविधाएं, जैसे प्राकृतिक गैस वितरण प्रणाली, संयुक्त/ सहायतित क्षेत्र औद्योगिक आस्थानों का विकास, औद्योगिक आस्थानों के लिए विद्युत आपूर्ति आदि के लिए परियोजना का कार्य उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा ही किया जाता रहेगा। इस संबंध में पुनः विचार किया गया तथा शासनादेश संख्या-1970भाउ/ 18-10-95-814भा/ 89, दिनांक 24 जुलाई, 1995 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 को पुनः संयुक्त/ सहायतित क्षेत्र की परियोजनाओं में भूमि के रूप में अंशपूंजी देने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।

2. प्रकरण में उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर के अनुरोध पर शासनादेश संख्या-1511/ 77-4-14-एसआईडीसी 02/ 14, दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर को शासनादेश दिनांक 02 जनवरी, 1992 एवं शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 1995 को अवक्रमित करते हुए लखनऊ मेट्रो परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 50.00 करोड़ की धनराशि इक्विटी के रूप में भागीदारी करने पर स्वीकृति प्रदान करते हुए तद्नुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

3. उक्त शासनादेश संख्या-1511/ 77-4-14-एसआईडीसी 02/ 14, दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 के क्रम में दिलशाद गार्डेन दिल्ली से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक मेट्रो रेल विस्तार हेतु रू0 32.39 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आपके पत्र संख्या-151-152/ एसआईडीसी/ परि0, दिनांक 31.07.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रू0 32.39 करोड़ के अंशदान हेतु निगम को पूंजी के रूप में इक्विटी भागीदारी की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुरोध है कि तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश पाठक)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः5/ 2015/ 140 (1)/ 77-4-15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/ उ0प्र0 वित्तीय निगम।
4. भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष एवं अध्यक्ष समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
5. उद्योग विभाग के समस्त अनुभाग एवं अधिकारी।
6. स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली।
7. सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
8. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. गार्ड फाइल/ बेवसाइट।
11. निदेशक, सूचना, उ0प्र0/ प्रभारी सूचना।

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh/go